Expansion of Central Jail, Delhi

1654. SHRI JERLIE E. TARIANG: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the capacity of Central Jail, Tihar Delhi;

(b) what is the number of persons at present lodged in that jail;

(c) whether Government have any proposal to expand the jail, if so, what are the details thereof; and

(d) whether Government propose to further tighten the security measures in Central Jail, Tihar Delhi; if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): (a) 1273.

(b) 2980 persons as on 24.2.1987.

(c) The Delhi Administration has decided to set up a new jail at the farm land situated within the Central Jail Complex to accommodate about 1400 prisoners, the designs etc. for which have already been approved and the work will be undertaken as a plan scheme during the Seventh Five Year Plan period. Apart from this, the Administration has also decided to construct another jail at Mandoli, for which land has already been acquired.

(d) Yes, Sir. Following steps are being considered:—

(i) Having a better communication net work;

(ii) Setting up of a Control Room.

(iii) Installing of high mast lights; providing high tension electric fencing and a public address system.

(iv) Installing of explosive detectors and X-ray machines for screening the prisoners, visitors and jail staff.

1655. [*Transferred to the 9th March, 1987*].

विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में प्रयुक्त होने वाली राजभाषा

1656. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में प्रयुक्त किये जाने के लिए सरकार द्वारा घोषित राजभाषा का नाम क्या है तथा दूतावासों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) जबकि विदेशों के राजनयिक उनकी अपनी भाषा बोलते हैं, भारत के राजनयिकों द्वारा संवैधानिक रूप से अनुमोदित राजभाषा को नहीं बोलने के क्या कारण हैं विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां राजनयिक अंग्रेजी नहीं बोलते हैं; और

(ग) क्या सरकार विदेशों में राजभाषा और संस्कृति के प्रचार के लिए कुछ प्रबंध करेगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुअर्डो फलेरियो) : (क) भारत सरकार के कार्यालयों, जिनमें विदेश स्थित कार्यालय भी शामिल हैं, के कामकाज की आधिकारिक भाषा हिन्दी है। तथापि, जैसा कि व्यवस्था है, अंग्रेजी भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है।

(ख) संचार सुविधा के लिए विदेशी राजनयिक सदा अपनी भाषा तक ही सीमित न रहकर प्रायः अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। भारतीय राजनयिक राजदूतावास में परस्पर तथा भारतीय समुदाय के लोगों के साथ प्रायः हिन्दी में बातचीत करते हैं, चाहे उनकी तैनाती अंग्रेजी भाषी देशों में अथवा अन्यत्र है।

(ग) विदेशों में राजभाषा और संस्कृति के प्रचार की व्यवस्था मौजूद है। सरकार विदेशों में हिन्दी का प्रचार कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों

को उपहार/दान में देने के लिए तथा विदेश स्थित हमारे मिशनों में एक मानक पुस्तकालय बनाने के लिए भारतीय इतिहास, संस्कृति साहित्य, धर्म आदि पर विदेश स्थित अपने मिशनों को पुस्तकें भेजती रहती है।

मंत्रालय ने पोर्ट आफ स्पेन, पोर्ट लुई, सुवा, जॉर्ज टाउन, लंदन और पारामारिबो में हिन्दी अधिकारियों और काठमाण्डू में हिन्दी अनुवादक की नियुक्ति भी की है, जो हिन्दी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ भारतीय संस्कृति का भी प्रचार-प्रसार का कार्य करते हैं।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् बहुत से देशों में सांस्कृतिक केन्द्र चला रही है। भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए सामान्यतया विदेश स्थित हमारे मिशनों में सूचना और सांस्कृतिक खण्ड हैं।

Sale of supercomputers to India by U. S.

@1657. SHRI CHITTA BASU:
SHRI RAMKRISHNA MAZUMDER:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether U. S. has since taken any final decision to supply super computers to India;

(b) if so, what is the nature of the decision;

(c) whether any conditions are attached; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) Government have received no communication regarding the final decision of the U.S. Goverment to suppl suprocomputers to India.

(b) to (d) Do not arise.

@Previously Unstarred Question 1154 transfered from the 5th March 1987.

राजभाषा समिति

1658. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मंत्री जी संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष हैं, और यदि हां, तो वह इस समिति के कार्यालय में कितनी बार गए हैं;

(ख) क्या उन्होंने कभी इस समिति की तीन उप-समितियों में से किसी एक की भी बैठक में भाग लिया है और क्या उन्होंने कभी समिति के निरीक्षण कार्य की समीक्षा की है;

(ग) क्या यह सच है कि राजभाषा के प्रभारी मंत्री होने के नाते उन्होंने केन्द्रीय मंत्रालयों को अपने यहां हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन करने और वर्ष में उनकी कम से कम चार बैठकें बुलाने के बारे में पत्र लिखकर अनुरोध किया है; यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि गृह मंत्री अपने मंत्रालय के कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें राजभाषा के बारे में सोचने का अवसर नहीं मिल पाता है और यही कारण है कि कोई भी मंत्री या सचिव राजभाषा को गंभीरता से नहीं लेता है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी हां, गृह मंत्री जी संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष हैं। पिछले कुछ समय में उनका समिति के कार्यालय में आने का अवसर नहीं आया। तथापि, समिति की अब तक हुई सभी बैठकों की उन्होंने अध्यक्षता की है।

(ख) संसदीय राजभाषा समिति की कार्यविधि और कार्य संचालन की नियमावली के अनुसार अध्यक्ष द्वारा उप-समितियों के कार्यकलाप में भाग लेना अपेक्षित नहीं है। इन उप-समितियों की निरीक्षण